

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.11.2020

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-36 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू पुत्र मिलन नि० बदौलीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-452/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. समना पत्नी स्व० गंगा राम नि० गढ़ी लोनियन पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-282/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रीता पत्नी स्व० राम सुरेश नि० महुवाडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-415/20, 02. शान्ति देवी पत्नी सुशील नि० बस्ती पुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-416/20, 02. ननका पत्नी स्व० भागीरथी नि० बस्ती पुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-417/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मुन्ना निषाद पुत्र भुटकुन नि० मल्लाहन पुरवा दुल्लाहपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-464/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुड्डू पुत्र भलई घोसी नि० मोहल्ला घोसियाना थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-865/20, 02. संध्या देवी पत्नी रामफेरे व राजूराम पुत्र दीपू खटिक निवासीगण राधेपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-866/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. रेनू पत्नी अमरजीत नि० पेरी पोखर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-867/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## **01 अदद नाजायज चाकू बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने गस्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त अरुण तिवारी पुत्र चन्द्रभान तिवारी नि० बालपुर थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०—868/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।